पत्र संख्या–वन भूमि–32/2016– 1830 व०प०

झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

प्रेषक,

सुनील कुमार,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, राँची, बंगला नं0–A-2,
श्यामली कॉलोनी, राँची–834002

राँची, दिनांक–08/05/2018

विषय :– RGGVY के अंतर्गत झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड का चौपारण ब्लॉक (चौपारण से चोरदाहा) तक 11 K.V. ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु 5.6322 हे0 वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक परियोजना से संबंधित प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–1021 दिनांक–17.11.2016, पत्रांक–878 दिनांक–25.09.2017 एवं पत्रांक–181 दिनांक–13.02.2018 से प्राप्त मूल प्रस्ताव एवं प्रतिवेदन की छायाप्रति (अनुलग्नकों सहित) आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न है।

विषयक प्रस्ताव पर राज्य सरकार के निर्णयानुसार निम्नांकित शर्तो के साथ अनुशंसा की जाती है :–

(i) वनभूमि की वैधानिक स्थिति यथावत् रहेगी।

(ii) प्रयोक्ता अभिकरण से माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल याचिका संख्या–WP(C) 202/1995 में दिनांक–28.03.2008 को पारित आदेश के अनुरूप अपयोजित होने वाली 5.6322 हे0 वनभूमि के NPV की राशि वसूलनीय होगी।

(iii) प्रस्तावित वनभूमि के दोगुणे अवकृष्ट वनभूमि पर क्षतिपूरक वनरोपण की राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा देय होगी।

(iv) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन कर किए गए कार्य के विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या–F.No.-11-42/2017-FC दिनांक–29.01.2018 में दिए प्रावधान के अनुरूप कार्रवाई अपेक्षित है।

(v) प्रस्तावित अपयोजन के कारण वन्यप्राणियों पर पड़ने वाले कुप्रभाव को कम करने के उद्देश्य से समेकित वन्य प्राणी प्रबंधन Scheme बनाकर इसका क्रियान्वयन प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा की जाएगी।

(vi) अन्य मानक शर्तो का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा।

अनुरोध है कि विषयक प्रस्ताव में अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

(सुनील कुमार)
सरकार के उप सचिव

कृ0प0उ0

F/2018 - -वनभूमि LETTER - 150 (Mukesh)

Phone/Fax- 0651-2490133, Email-Id:- dysecyfdjharkhand2013@rediffmail.com

ज्ञापांक– वन भूमि–32/2016– 1830 व०प०, राँची, दिनांक– 08/05/18

प्रतिलिपि–सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड, नई दिल्ली–110003 को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक– वन भूमि–32/2016– 1830 व०प०, राँची, दिनांक– 08/05/18

प्रतिलिपि–प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची/झारखण्ड बिजली वितरण निगम लि0, इंजिनियरिंग हॉस्टल, एच0ई0सी0, धुर्वा, राँची–834004/विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, हजारीबाग, झारखण्ड–825301 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

Phone/Fax- 0651-2490133, Email-Id:- dysecyfdjharkhand2013@rediffmail.com

PART – V

(To be filled by the Secretary in Charge of Forest Department or by any other authorized officer of the State Government not below the rank of an Under Secretary)

Diversion of 5.6322 ha of Forest Land for 11 K.V Transmission Line from Chouparan to Chordaha in Chouparan Block of Hazaribagh District under RGGVY.

18. Recommendation of the State Government

(Adverse comments made by any officer of authority in Part- B or Part – C or Part- D above should be specifically commented upon)

Recommended for diversion of 5.6322 ha of Forest Land with conditions as stated in the forwarding letter no-1830. dated-08.05.2018

Signature : [signature] 9/5/18

Name & Designation : Sunil Kumar
(Dy. Secretary)
Forest, Environment & Climate
Change Department

उप सचिव
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
झारखण्ड, राँची

Date : 09/05/2018

Place : Ranchi

(Official Seal)